

दिनांक 08.12.2017 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित सूचीबद्धता समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संचिका में संधारित।

कार्यवाही :-

आज की बैठक में संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) -सह- सदस्य सचिव, सूचीबद्धता समिति, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न 49 कृषि यंत्र निर्माताओं के प्राप्त आवेदन एवं टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई कृषि यंत्रों की विवरणी सूचीबद्धता समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया।

सूचीबद्धता समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त सूची के Not Recommended कृषि यंत्रों को छोड़कर शेष Recommended कृषि यंत्रों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

खतरनाक मशीन के ऐसे निर्माता जिनके राज्य में अभी तक खतरनाक मशीन (विनयमन) अधिनियम 1983 को लागू नहीं किया गया है, उनके बिहार राज्य में उपलब्ध बिक्रेताओं को भारत सरकार के पत्रांक F. No. 13-22/2016-M&T (I&P) dated 12 April-2017 द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में अनुज्ञप्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की शर्त पर निर्माताओं को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...315.....

पटना, दिनांक ...11.. दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि :- सूचीबद्धता समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...315.....

पटना, दिनांक ...11.. दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...315.....

पटना, दिनांक ...11.. दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, आई०टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।